

44

प्रधक,

संख्या-1495 / 15-10-2007

संयोजक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संसा मं,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केंद्र-2 समुदाय केंद्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग

संख्यांक: दिनांक: 26-11-2007

विषय :- श्री आगरवली एकेडमी वीरिया को सीओएमएओ ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय को त्वरित आपका ध्यान आकर्षित करने हेतु मुझे सब कर्मचारी का ज्ञान
हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सीओएमएओ ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति
प्रमाण पत्र दिये जाने में इस संबंध सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति पत्र
दिया जायेगा :-

- (1) विद्यालय को मातृशाला सौभाग्यी का समूह-समाज पर नवीनकरण करारमा प्रमाणित।
- (2) विद्यालय को प्रत्येक सत्र में शिक्षा निदेशक द्वारा नवीन गुरु सुदस्य बनाया।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/असंजात के विद्यार्थी
दरवी के तहत सुरक्षित रहने और तबसे 100प्रमाणमध्यमिक शिक्षा परिषद/बैसिक
शिक्षा परिषद द्वारा संघालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित
शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुभाग की योग नहीं की जायेगी और यदि
पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त है तथा विद्यालय को
संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन नईदिल्ली/नोडल कार वि
इंजिनियर स्कूल एंडीकेकेड इन्फार्मेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस
परिषद परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने का तिनि में 100प्रमाणमध्यमिक शिक्षा परिषद
द्वारा उक्त मातृशाला तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुभाग स्वतंत्र भूमाज हो जायेगा।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं प्रशासनिक कर्मचारियों का शैक्षिक/व्यवसायिक अनुभव तथा विद्यालय
संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुभव्य वेतनमानों तथा अन्य बातों से कम
वेतनमान तथा अन्य बातें नहीं दिये जायेगे।
- (6) कर्मचारियों को सेवा शर्तें बनानी।

संचालक माध्यमिक विद्यालयों के
उपस्थित करारमा प्रारंभ।



Principal
Gyan Sthali Academy
Near Kali Mata Mandir
Auraiya



- (7) राज्य सरकार द्वारा राज्य-समय पर जो भी आदेश निर्गत होंगे, उनका पालन करनी।
- (8) विद्यार्थी का रिजल्ट निर्धारित प्रश्न पत्रों में रखा जायेगा।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी कारण से पालन नहीं किया जाये तो संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जायेगा और यदि पालन करने में किसी प्रकार की त्रुटि या ग्राहकता उत्पन्न होगी तो राज्य सरकार का पालन अनिवार्य प्रमाण पर कार्यभार ले लिया जायेगा।

मुख्य अधिकारी,

(संयोजक)

अनुसंधान

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रतिनिधि विभागाध्यक्ष के सुचक्रण एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मुख्य शिक्षा अधिकारी, गानपुर।
- 3- शिक्षा निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
- 4- शिक्षा, भारत भारतीय विद्यालय उच्च, लखनऊ।
- 5- अध्यक्ष, श्री गानस्थली मठवासी औरिया।
- 6- कार्य कुं।



Principal
Gyan Sthali Academy
Near Kali Mata Mandir
Auraiya

